संख्या-18/2018-764/58-2018-320/2012

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2018**

विषय:- सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फूरटस/वेजीटेबल, बस्ती एवं कन्नौज में मशीनीकरण तथा तकनीकी साहित्य प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-302/डी0बी0टी0/आई0टी0/2017-18 दिनांक 21.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत संचालित लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फूरटस/वेजीटेबल, बस्ती एवं कन्नौज में निम्न प्रस्तावानुसार क्रय एवं साहित्य मुद्रण करने की अनुमति प्रदान करते हुए धनराशि के व्यय करने की प्रशासकीय** स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	**प्रस्ताव का विवरण**	**प्रस्तावित व्यय से संबंधित मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	सोनालिका ट्रैक्टर के माडल डी.आई. 35 एस.एम. का क्रय	26-मशीन साज सज्जा	रू0-4,13,254/-
2	फल व शाकभाजी से संबंधित तकनीकी साहित्य का मुद्रण	18-प्रकाशन	रू0-6,00,000/-
	योग		रू0-10,13,254/-

2- उक्त धनराशि का व्यय निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(1) सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्ती एवं कन्नौज की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री एवं पुस्तक का मुद्रण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार होगा। इसमें कोई विसंगति होने पर निदेशक उद्यान/संयुक्त निदेशक, बस्ती उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय/मुद्रण नियमानुसार किया जायेगा। अनियमितता पाये जाने की स्थिति में निदेशक उद्यान/वित्त नियंत्रक एवं संयुक्त निदेशक बस्ती सीधे उत्तरदायी होंगे।

(3) सामग्री का क्रय/पुस्तक का मुद्रण शासन द्वारा संबंधित योजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अतिरिक्त सामग्री का क्रय/मुद्रण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(5) जो दरें निर्धारित की गयी है उसका उत्तरदायित्व संयुक्त निदशक बस्ती का होगा।

(6) क्रय/मुद्रण की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। निर्धारित गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी/संस्था के साथ-साथ आपूर्ति लेने वाले संबंधित संयुक्त निदेशक बस्ती/जिला उद्यान अधिकारी कन्नौज भी उत्तरदायी होंगे।

(7) निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत क्रय एवं मुद्रण हेतु पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018-764 (**1**)/58-2018-तदद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती।
(5) जिलाधिकारी, जनपद-कन्नौज।
(6) उप निदेशक उद्यान, कानपुर मण्डल, कानपुर।
(7) जिला उद्यान अधिकारी, कन्नौज।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, कन्नौज/बस्ती।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in